

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

एफ नंबर 6/8/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग व्यापार उपचार महानिदेशालय

दिनांक: 16th मार्च, 2026

शुद्धिपत्र अधिसूचना


केस नंबर सीवीडी (ओआई) - 1/2024

विषय: ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव पिगमेंट को छोड़कर, प्रभाव पियरलेसेंट पिगमेंट या अश्वक पिगमेंट के आयात से संबंधित काउंटरवेलिंग इयूटी जांच में अंतिम निष्कर्ष।

समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिकारी शुल्क और चोट की पहचान, निर्धारण और मूल्यांकन) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक ने उपरोक्त प्रतिकारी शुल्क जांच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2024 - डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2025 जारी की है।

पहले जारी शुद्धिपत्र अधिसूचना दिनांक 16.06.2025 में टंकण संबंधी त्रुटि हुई थी। इस प्रकार, पिछली सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, जहां तक शुल्क तालिका के नोट संख्या घ का संबंध है, शुल्क तालिका के नोट संख्या घ को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

(घ) ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के अलावा सिंथेटिक ग्रेड के पर्लसेंट पिगमेंट या अश्वक पिगमेंट के प्रभाव के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डॉपिंग शुल्क देय नहीं है, काउंटरवेलिंग इयूटी की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।


(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी